



Neutral Citation No. - 2026:AHC:44067

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7898/2026

श्रीमती भुल्ली

----- याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : दिव्यांशु कुशवाहा, विवेक कुशवाहा

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : आज़ाद राय, मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले आदेश के मद्देनजर, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजकर और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी आदेश से असंतुष्ट महसूस करती है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. इस याचिका में याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप मंडल अधिकारी, तहसील सोरांव, जिला प्रयागराज को मामला

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 6995/2025 (कंप्यूटरीकृत मामला संख्या T202502030306995) (श्रीमती भुल्ली बनाम धर्मेन्द्र कुमार और अन्य) का शीघ्रता से निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।

4. यह मामला प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/उप मंडल अधिकारी, तहसील सोरांव, जिला प्रयागराज को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त मामले का निपटारा कानून के अनुसार, शीघ्रता से और अधिमानतः प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन महीने के भीतर करें, लेकिन जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं किया है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।